भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्या : **2037**

उत्तर देने की तारीख : 28 जुलाई, 2014

**उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार**

**2037. श्री बी॰ के॰ हरिप्रसादः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्च शिक्षा देश का संभवतः एक-मात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कई दशकों से किसी प्रकार का सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्यथा अच्छे प्रयोजन वाले चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को समाप्त करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दबाव के आगे झुकना इस बात का संकेत है कि व्यवस्था पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पूर्ण एकाधिकार और शिकंजा है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा संस्थाओं को अपने-अपने पाठ्यक्रम तैयार करने तथा डिग्री प्रदान करने के लिए उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके परिषदों के चंगुल से मुक्त कराये जाने की आवश्यकता है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): जी, नहीं। यह सही नहीं है कि उच्‍चतर शिक्षा क्षेत्र में कई दशकों से किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। केन्‍द्र सरकार द्वारा राज्‍य सरकारों एवं शिक्षाविदों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के परामर्श से सांस्‍थनिक एवं नीतिगत सुधारों के माध्‍यम से उच्‍चतर शिक्षा क्षेत्र में सुलभता, समानता एवं गुणवत्‍ता को बढ़ाने का कार्य अनवरत तौर पर किया जा रहा है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं का प्रत्‍यायन अनिवार्य किया है, कॉलेजों के विश्‍वविद्यालयों से संबंधन हेतु विनियम जारी किए है, सम-विश्‍वविद्यालयों एवं प्राइवेट विश्‍वविद्यालयों में मानकों का अनुरक्षण किया है, शिक्षण पदों पर नियुक्ति हेतु न्‍यूनतम अर्हताओं का निर्धारण किया है, उच्‍चतर शिक्षा में गुणवत्‍ता एवं सुलभता को बढ़ाने के लिए प्रथम डिग्री, मॉस्‍टर डिग्री, एम.फिल/पीएचडी डिग्री आदि प्रदान करने हेतु न्‍यूनतम मानकों का निर्धारण किया है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं में समानता को बढ़ावा देने तथा समस्‍या समाधान के लिए भी विनियमों का निर्धारण किया है।

इसके अतिरिक्‍त, केन्‍द्र सरकार राज्‍य उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं में सुधारों को प्रोत्‍साहित करने के लिए XIIवीं योजना के दौरान राष्‍टीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान का कार्यान्‍वयन कर रही है।

(ख) और (ग): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिकि निकाय है जिसकी स्‍थापना उच्‍चतर शिक्षा के समन्‍वय, निर्धारण एवं गुणवत्‍ता मानकों के अनुरक्षण तथा निधियन अथवा उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्‍थाओं में अनुसंधान के प्रयोजनार्थ संविधान की VIIवीं अनुसूची की सूची-। की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वर्ष 1956 में की गई थी। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिदेश में उच्‍चतर शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण करना, पाठ्यचर्या मानकों का निर्धारण करना, विश्‍वविद्यालयों तथा कॉलजों में शिक्षण मूल्‍यांकन एवं अनुसंधान, उच्‍चतर शिक्षा में घटनाओं की मॉनीटरिंग करना, संस्‍थाओं को निधियों का संवितरण करना तथा केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकारों की विभिन्‍न एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना शामिल है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्‍वविद्यालय अथवा अन्‍य संबंधित निकायों के परामर्श ऐसे सभी कदम उठाने का विशेष अधिदेश प्राप्‍त है जो इसके द्वारा विश्‍वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन एवं समन्‍वय तथा विश्‍वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा एंव अनुसंधान के मानकों के निर्धारण एवं अनुरक्षण हेतु आवश्‍यक समझे जाते है। हालांकि अपने अधिदेश की निबाहना करते समय, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग केन्‍द्र सरकार द्वारा तैयार नियमावली, आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों तथा राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 में उल्लिखित नीतिगत फेमवर्क का भी ध्‍यान रखता है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी नियमावली, विनियमों एवं राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति का उल्‍लंघन किए जाने पर विश्‍वविद्यालयों को एडवाइजरी एवं दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग के पास इसके द्वारा निर्धारित मानकों एवं कॉलेजों का निरीक्षण करने का भी अधिदेश है।

ऐसे ही एक मामले में अर्थात दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय के चार वर्षीय अवर-स्‍नातक कार्यक्रम मामले में विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 20 जून, 2014 को दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय को एक एडवाइजरी तथा इसके बाद दिशा-निर्देश जारी किए तथा निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करते हुए कि विद्यार्थियों को 10+2+3 संरचना के अंतर्गत पाठ्यचर्या निबहाना के जरिये प्रक्रिया सुविधा हो राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अंतर्गत 10+2+3 संरचना के अंतर्गत अभिकल्पित 3 वर्षीय अवर-स्‍नातक कार्यक्रम की अनुपालना की जाए। दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय को कहा गया था कि वे वर्ष 2014-15 तथा इसके परवर्ती अकादमिक वर्षों में दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय (इसके अंतर्गत संघटक कॉलेजों तथा अन्‍य कॉलेजों सहित) में चार वर्षीय अवर-स्‍नातक कार्यक्रम लागू किए जाने से पूर्व प्रचलित तीन वर्षीय संरचना में सामान्‍य अवर स्‍नातक कार्यक्रमों के लिए दाखिला प्रदान करें।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी 1956 की धारा 22 (3) के अनुरूप, विश्‍वविद्यालयों एवं सम-विश्‍वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की सूची भी विनिर्दिष्‍ट करता है। संसद ने भी समय-समय पर विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की समीक्षा की है तथा वर्ष 1972, 1984 एवं वर्ष 1985 में इसे संशोधित भी किया है।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों, विनियमों तथा राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालना के अध्‍यधीन, विश्‍वविद्यालयों को विनिर्दिष्‍ट डिग्रियां प्रदान करने तथा अपने अधिनियमों, संविधियों एवं अध्‍यादेशों के अनुसार पाठ्यचर्या एवं विषय-वस्‍तु तैयार करने की स्‍वायत्‍ता प्राप्‍त है।

\*\*\*\*\*